

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या - 82/2024

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उपनाम

- 1 किशन पुत्र मगना जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 2 छोटू पुत्र गोपाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 3 घिसु पुत्र कल्याण जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 4 जीवन पुत्र मगना जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 5 महावीर पुत्र गोपाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 6 रामकिशन पुत्र गोपाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 7 रोडु पुत्र गोपाल जाति कुम्हार उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा

----- (प्रार्थी)

बनाम

- 1 घासी पुत्र अर्जुन जाति भील उम्र वयस्क निवासी नया सरसुन्दा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता— श्री शिवराज शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 28.08.2024


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 07.05.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नया सरसुन्दा पटवार मण्डल पेटानोहरसागर भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 41 के आ.न. 641 किता 01 कुल रकबा 0.75 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे। च

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 07.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अनिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नया सरसुन्दा पटवार मण्डल पेटानाहरसागर भू.अ.नि. कनेछनकला तहसील फूलियाकला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 41 के आ.न. 641 किता 01 कुल रकबा 0.75 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी वसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक कनेछनकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि वाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राजकेश मीना)  
उपखण्ड अधिकारी,  
फूलियाकला, जिला शाहपुरा